न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2020

दायर दिनांक– 13.3.2020

निर्णय दिनांक–29.01.2021

श्री वालिया उर्फ वालचन्द पिता चौखला बरोड, जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बकराईया तहसील साबला जिला डूँगरपुर :–प्रार्थी

बनाम

1 श्री देवजी पिता रोडिया जाति मीणा आयु वयस्क निवासी बकराईया तहसील साबला जिला डूँगरपुर

2 श्रीमती कडूव पत्नी देवजी, जाति मीणा आयु वयस्क निवासी बकराईया तहसील साबाला जिला डूंगरपुर

3 भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील साबला जिला डूँगरपुर

:– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थितः– 1. श्री मुकेश कुमार भट्ट, वकील प्रार्थी

2. श्री निर्मल कुमार जैन, अभिभाषक विपक्षीगण सं. एक व दो की ओर से

3. पेरोकार सरकार विपक्षी सं. 3 की ओर से

आदेश

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान के अन्तर्गत केम्प मुंगेड में जरिए जरिए मिसल नं.665/13 दिनांक 10.04.2013को विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को मौजा बकराईया तहसील साबला के खसरा नम्बर 5120 में रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है जिस पर प्रार्थी का अपने पित[illegible] से पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी नें उक्त भूमि को कठो[illegible]श्रम व भारी व्यय कर उन्नत बनाया है जिससे विपक्षी[illegible] आवंटन को निरस्त[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालत नामा प्रस्तुत किया गया व विपक्षी संख्या 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अभिभाषक के मार्फत जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थीगण के अभिभाषक को दिलाई गई। उभयपक्षों के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पत्रावली पर रखे गये।

प्रकरण की कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा विवादित भूमि से संबंधित मौका रिपोर्ट तलब कराने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विपक्षीगण के अभिभाषक को दिलाई गई एवं तहसीलदार साबला से विवादित भूमि बाबत उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार साबला की रिपोर्ट मय पर्चा प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है।

उभयपक्षों के अभिभाषकगणों की बहस समायत की गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि मौजा बकराईया के खसरा नंबर 5120 के रकबा 5.00 बीघा भूमि पर प्रार्थी का अपने पिता के समय से ही पुराना कब्जा चला आ रहा है जिसमें उसके द्वारा कठोर परिश्रम व भारी व्यय कर भूमि को उन्नत बनाया है। विपक्षीगण ने वर्ष 2013 में प्रार्थी की जानकारी के बगैर पीठ पीछे आवंटन कमेटी को धोखें में रखकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि आराजी संख्या 5120 में से रकबा 2.00 बीघा अपने स्वयं व पत्नी के नाम से आवंटित करवा ली है। जिसका बटा नंबर 6403/5120 कायम हुआ है। तथा 2.00 बीघा अपने पुत्र व बहू के नाम आवंटित करवा ली है जिसका बटा नंबर 6402/5120 कायम हुआ है, जबकि इस भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। तहसीलदारजी साबला की जांच रिपोर्ट में भी मौजा बकराईया के खसरा नंबर 6403/5120 रकबा 2.00 बीघा में से मात्र रकबा 1.00 बीघा में ही विपक्षी श्री रमेश व देवजी का काश्त कब्जा माना है अर्थात शेष रकबा 1.00 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की नोटिसेज एवं पेनाल्टी जमा कराने की रसीदात के अवलोकन से भी प्रार्थी का मौजा बकराईया के खसरा नंबर 5120 में कब्जा प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि पर विपक्षीगण द्वारा आवंटन कमेटी को धोखे में रखकर एवं कब्जे की वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए आवंटन करवा लिया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि विपक्षीगण ने पूर्व में भी दिनांक 10.06.1992 को रकबा 5.00 बीघा भूमि आवंटित करवा ली है जिसकी आराजी संख्या 6345/5111 है तथा दिनांक 10.04.2013 को पुनः आराजी संख्या 5120 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 2.00 बीघा स्वयं के नाम तथा अपने पुत्र रमेश के नाम भी रकबा 2.00 बीघा भूमि आवंटित करवा ली है। विपक्षीगण के पास पूर्व से ही अधिक भूमि है जबकि प्रार्थी के पास भूमि कम है जिसमें विपक्षीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में से किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। प्रार्थी ने अपने कथनो के समर्थन में RRD Digest2014-18 पृष्ठ 55 (मण्डल ने आदेश अपास्त किया और आवंटन बहाल किया– 3 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान– खातेदारी अधिकार प्रदान होने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता– 3 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान होने की उपधारणा– भूमि के काश्त न करने के आधार पर आवंटन रद्द किया) एवं 56 (अपेक्षित गणपूर्ति का अभाव) की छाया प्रतियां, मौके के फोटोग्राफ्स एवं तहसीलदार साबला की रिपोर्ट पर्चा मौका इत्यादि की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जिन्हें बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का कथन है कि मौजा बकराईया की आराजी संख्या 5120 का कुल रकबा 51 बीघा 15 बीस्वा होकर विस्तृत क्षेत्र है। दिनांक 10.04.2013 को इस आराजी में कुल 10 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया है। इसी क्रम में विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को भी मौजा बकराईया की आराजी संख्या 5120 हमें रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन होकर मौके पर कब्जा सुपुर्द हुआ था तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर आवंटित भूमि की नवीन आराजी संख्या 6403/5120 कायम हुई है एवं इस पर स्वामित्व अधिकारों सहित काबिज काश्त है। इस आराजी पर संवत 2074 एवं 2075 में काश्त की है जिसकी नकल गिरदावरी पी–13 संलग्न की है। प्रार्थी ने पूर्व में ही विपक्षीगण के पास अधिक भूमि होकर भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आने बाबत अपनी प्लीडिंग्स में कोई तथ्य नहीं उठाया है तथा अब मात्र बहस के वक्त इसे उठाने से इसे नहीं माना जा सकता है। विपक्षीगण के विद्वान अभिभाषक ने आगे यह भी कथन किया है कि तहसीलदारजी साबला ने भी अपने पर्चा मौका एवं जांच रिपोर्ट में विवादित आवंटित भूमि पर विपक्षीगण रमेश एवं देवजी का कब्जा माना है। शेष इससे लगा हुआ आराजी संख्या 5120 बिलानाम भूमि मगरी है जिस पर प्रार्थी का कब्जा हो तो विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षीगण की आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का ही कब्जा काश्त [illegible] प्रार्थी का इससे कोई संबंध नहीं है। विपक्षीगण की आवंटित भूमि को तीन वर्षों से अधिक का समय होकर आवंटन शर्तों की पालना करने से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षीगण को विधिवत आंवटन हो आवंटित भूमि पर काश्त काबीज है, अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारीज किया जावे। पेरोकार सरकार बतौर फार्मल पक्षकार उपस्थित होकर आवंटन नियमानुसार होना बताया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपरांत अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि राजस्व ग्राम बकराईया तहसील साबला की बिंलानाम आराजी संख्या 5120 में से रकबा 2.00 बीघा (दो बीघा) भूमि कृषि प्रयोजनार्थ जरिये मिसल संख्या 665/13 दिनांक 10.04.2013 को नियमानुसार आवंटित हुई है तथा आवंटीगण को कब्जा सुपुर्द होकर आवंटीगण इस पर काबिज काश्त हैं। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की नकल संवत 2074 एवं 2075 के अनुसार आवंटीगण द्वारा आवंटित भूमि में काश्त कर आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। मौजा बकराईया का खसरा संख्या 5120 एक बडा खसरा है तथा इसमें विपक्षीगण को आवंटित भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा हो यह प्रमाणित नहीं होता है। धारा 91 की पेश की गई नोटिसेज वर्ष 2005, 2006, 2011, 2014, में अंकित खसरा नम्बर एवं रकबा अलग–अलग है। पेनाल्टी रसीदात दिनांक 15.10.2005, 13.3.2006, 6.11.2006, 2.02.2009 इत्यादि से भी विपक्षीगण को आवंटित भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत किए गए फोटो में अक्षांश व देशान्तर नही होने से भी विपक्षीगण को आवंटित भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि विपक्षीगण के आवंटन में किसी प्रकार का दखल दिया जा सके। आवंटन नियमों अथवा गणपूर्ति बाबत भी कोई अनियमितता दृष्टिगत नहीं होती है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मौजा बकराईया की आराजी संख्या 6403/5120 रकबा 2.00 बीघा का आवंटन निरस्त करने बाबत को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का आवंटन बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्णपालसिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested